विवाह निबंधन अधिनियम 2006

GRAM SATHI

ग्राम साथी एक स्वयं सेवी संस्था

विवाह निबंधन अधिनियम 2006

शादी का निबंधन करायें।
बेटी का भविष्य बनायें ।।

जी हाँ,
विवाह का निबंधन जरूरी है
क्योंकि,

विवाह निबंधन अधिनियम 2006 के अनुसार वर्ष 2006 के बाद जो भी विवाह हुआ है, उसका निबंधन होना आवश्यक है, नहीं तो आवश्यकता पड़ने पर शादी सही में हुआ है साबित करना संभव नही है ।

विवाह निबंधन क्या है?

विवाह निबंधन कराने से एक प्रमाण-पत्र मिलता है यह प्रमाण-पत्र जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र की तरह है।

सम्पत्ति में या अन्य किसी भी कार्य में तीन प्रकार के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है-

1. जन्म प्रमाण पत्र
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. विवाह प्रमाण पत्र

निबंधन प्रमाण-पत्र क्यों?

विवाह निबंधन शादी का प्रमाण है जिससे सामाजिक एवं कानूनी मान्यता मिलती है। विवाह निबंधन से महिलाओं को पति के सम्पत्ति में अधिकार लेने के लिए मजबूत हथियार है।

विवाह प्रमाण पत्र विवाह पंजीयन कराने के बाद ही प्राप्त होगा।

विवाह निबंधन कराने के लिए दिये आवदन पत्र में निम्न सूचनाएँ देना आवश्यक है:-

- लड़का / लड़की की उम्र क्या है ?
- लड़का / लड़की के माता पिता का नाम ।
- लड़का / लड़की की वैवाहिक स्थिति ।
- लड़का / लड़की का वर्तमान व स्थायी पता ।
- लड़का / लड़की का फोटो ।

निबंधन कहाँ करायें?

विवाह निबंधन शादी का प्रमाण है जिससे सामाजिक एवं कानूनी मान्यता मिलती है। विवाह निबंधन से महिलाओं को पति के सम्पत्ति में अधिकार लेने के लिए मजबूत हथियार है।

- प्रखंड एवं जिला के रजिस्ट्री कार्यालय में निबंधन किया जाता है।
- निबंधन के लिए फार्म मिलता है जिसे मुखिया/वार्ड पार्षद से सत्यापित कराकर निबंधन कार्यालय में जमा किया जाता है।

निबंधन किसका होगा?

निबंधन उन्हीं का होगा जब दोनों पक्ष की आपस में सहमती हो तथा विवाह का सही उम्र हो।

विवाह निबंधन से लाभ

- सम्पत्ति में अधिकार मिलता है ।
- किसी महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता है ।
- बेमेल विवाह रूकता है ।
- दूसरी शादी रूकती है ।
- कन्या विवाह योजना का लाभ मिलता है ।
- विधवा को अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार मिलता है ।
- बच्चों को उनका अधिकार मिलता है ।

क्या करना है?

अगर आप गाँव में रहते है-

- आवेदन फार्म भरकर मुखिया से प्रमाणित करा लें ।
- फार्म प्रखंड कार्यालय में जमा करना है जहाँ दोनो पक्ष को विवाह प्रमाण पत्र मिलेगा ।

अगर आप शहर में रहते है-

- आवेदन फार्म वार्ड से कराकर रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करना है। जहाँ से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा ।

विवाह निबंधन न होने पर

2006 के बाद

- सम्पत्ति से संबंधित अधिकार
- पति के छोड़ देने पर
- पति के मृत्यु होने पर (पति के सम्पत्ति)
- बच्चों का अधिकार
- कन्या विवाह योजना का लाभ नहीं मिलेंगे।

उपरोक्त सारे अधिकार से वंचित हो जाएगे, यदि विवाह प्रमाण-पत्र नही है, विवाह प्रमाण-पत्र तभी मिलेगा जब विवाह निबंधन होगा।

ग्राम साथी संस्था द्वारा जनहित में जारी